मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश/समयबद्ध

संख्या–540/क0नि0प्र0/26–3–2014–5(94)/2005

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– अध्यक्ष,
नोयडा विकास प्राधिकरण,
नोयडा,
गौतमबुद्ध नगर।

2– आयुक्त,
औद्योगिक विकास,
उत्तर प्रदेश शासन।

3– प्रमुख सचिव,
पंचायतीराज विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

4– प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन,
उत्तर प्रदेश शासन।

5– सचिव,
नगर विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ
समाज कल्याण विभाग

लखनऊः दिनांकः 09 सितम्बर,2014

विषयः– रिट याचिका संख्या–583/2003, सफाई कर्मचारी आन्दोलन एवं अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–03–2014 के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

रिट याचिका संख्या–583/2003, सफाई कर्मचारी आन्दोलन एवं अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27–03–2014 को पारित निर्णय (प्रतिलिपि संलग्न) का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "Prohibition of Employment as Mannual Scavengers and their Rehabilitation Act,2013" के प्रकाश में उक्त अधिनियम के प्राविधानों को तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

2– आप अवगत हैं कि उक्त अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश पूर्व में निर्गत किये गये हैं जिसके अनुसार प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में कार्यवाही नगर विकास विभाग द्वारा तथा ग्रामीण क्षेत्र में कार्यवाही पंचायतीराज विभाग द्वारा किया जाना है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के पारित निर्णय दिनांक 27–03–2014 में अन्य बिन्दुओं के साथ–साथ सीवर आदि की सफाई के दौरान होने वाली मृत्यु के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।

....2..

पारित निर्णय के बिन्दु संख्या– (ii) (a) के अन्तर्गत मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं:–

(ii) If the practice of manual Scavenging has to be brought to a close and also to prevent future generations from the inhuman practice of manual scavenging, rehabilitation of manual scavengers will need to include:-

(a) Sewer deaths- entering sewer lines without safety gears should be made a crime even in emergency situations. For each such death, compensation of Rs. 10 lakhs should be given to the family of the deceased.

इसी प्रकरण प्रश्नगत रिट याचिका में पारित निर्णय के बिन्दु संख्या–(iii) के अन्तर्गत मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं:–

(iii) Identify the families of all persons who have died in sewerage work (manholes, septic tanks) since 1993 and award compensation of Rs. 10 lakhs for each such death to the family members depending on them.

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में न्याय विभाग द्वारा दिये गये बहुमूल्य परामर्श के अनुसार मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्देश विधि अनुसार बाध्यकारी हैं। अतः सीवर/सैप्टिक टैंक की सफाई के दौरान होने वाले व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में कर्मचारी के आश्रित परिवार को क्षतिपूर्ति हेतु सम्बन्धित नियोक्ता/नियोजक उत्तरदायी होगें।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत रिट याचिका संख्या–583/2003, सफाई कर्मचारी आन्दोलन एवं अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/निर्देशों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोक्त।

भवदीय,

9.4.14

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–540 (1)/क0नि0प्र0/26–3–2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव,सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2– संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3– प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, महानगर, लखनऊ।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(केदारनाथ)
विशेष सचिव।

G.O.P